समाहरणालय,बेगूसराय।

(जिला आपदा प्रबंधन शाखा)

आदेश

संभावित बाढ़–2014 के पूर्व तैयारी के कम मे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के आवागमन परिचालन को सुगम बनाने हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्राप्त निविदा के आधार पर कय समिति द्वारा लिये निर्णय के आलोक मे श्री आर0 सी0 एस0 ट्रेडिंग एण्ड सन्स, जगतपुरा, बेगूसराय को निविदा में दिये गये गुणवत्ता के आलोक मे आपूर्ति करने हेतु आदेश दिया जाता हैं ।

क0	सामग्री का नाम	मात्रा	आकार	दर	गुणवत्ता
1	2	3	4	5	6
1	नाव (मझौली)	100	25x8x2	59,000/–	निविदा मे दिये गये गुणवत्ता के अनुरूप।

1. आपूर्तिकर्त्ता को दो दिनों के अन्दर एकरारनामा करना होगा कि आपूर्ति आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर स्वीकृत नमूना के अनुरूप उचित सख्या , साईज, गुणवत्ता एवं मात्रा के अनुसार नाव की आपूर्ति निश्चित रूप से कर देगें एव आवश्यकतानुसार बेगूसराय जिले के सभी 18 अचल मुख्यालयों तक पहुँचा देगें । इसके लिए कोई परिवहन शुल्क या अन्य कोई चार्जेज अलग से देय नहीं होगा । प्रति नाव के साथ आवश्यक सामग्री यथा रस्सा मोटावाला 50 फीट, पतवार–2 पीस, एक लंगड एवं अन्य नाव परिचालन से संबंधित सामग्री भी आपूर्तिकर्त्ता को देना होगा ।

2. नाव की आपूर्ति हेतु कोई अग्रिम देय नहीं होगा ।

3. आपूर्तिकर्त्ता द्वारा ससमय सामग्री नहीं आपूर्ति किये जाने की स्थिति में आवश्यकता के मद्दे नजर अन्य निविदाकर्त्ताओं का स्थानीय बाजार से अनुमोदित दर पर आपूर्ति ली जा सकती है ।

4. आपूर्तिकर्त्ता द्वारा नमूने के अनुरूप सामग्री की आपूर्ति नहीं किये जाने पर आपूर्तिकर्त्ता के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए आपूर्ति की गई सामग्रियों का कोई भुगतान नही किया जायेगा ।

5. नाव की आपूर्ति करने के पश्चात लेखा प्रदायी चेक द्वारा भुगतान किया जायेगा ।

6. आपूर्तिकर्त्ता उक्त सामग्री के देखभाल , उपयोग एव रख– रखाव के संदर्भ में अनुमंडलवार कम–से–कम 5 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करेगें ताकि भविष्य में रख– रखाव की समस्या न हो । आपूर्ति किए गये नाव का माइनर रिपेयरिंग , गहनीकरण एवं रख– रखाव एक साल तक अपने अनुभवी कारीगरों के द्वारा आपूर्तिकर्त्ता को करना होगा ।

7. आपूर्तिकर्त्ता को नाव का भुगतान विभाग से आवंटन प्राप्त होने पर किया जायेगा । अपरिहार्य कारण से भुगतान में विलम्ब होने पर किसी भी प्रकार की सूद की राशि देय नही होगा ।

8. आपूर्तिकर्त्ता को नाव का भुगतान विभाग से आवंटन प्राप्त होने पर किया जायेगा । अपरिहार्य कारण से भुगतान में विलम्ब होने पर किसी भी प्रकार की सूद की राशि देय नहीं होगा ।

जाती है । निरीक्षण टीम में प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन,बेगूसराय / वन प्रमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय / महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बेगूसराय / मोटरयान निरीक्षक, बेगूसराय सदस्य के रूप मे नामित किये जाते है । निरीक्षण टीम का दायित्व होगा कि आपूर्ति किये गये नाव के गुणवत्ता की जॉच कर अनापत्ति प्रमाण पत्र देगें ।

10. नाव की गुणवत्ता सही नही पाये जाने पर निविदादाता को सामग्री वापस ले जाना होगा एवं अपने खर्च पर पुनः सही सामग्री की आपूर्ति करनी होगी, जिसके लिए कोई परिवहन शुल्क देय नहीं होगा ।

ज्ञापांक 565 /आ0प्र0, दिनांक 27.8.14

प्रतिलिपि:– श्री आर0 सी0 एस0 ट्रेडिंग एण्ड सन्स, जगतपुरा, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि:– सभी अनुमंडल पदाधिकारी,बेगूसराय जिला / सभी संबंधित अंचल अधिकारी, बेगूसराय जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि:– अपर समाहर्त्ता,बेगूसराय / प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन,बेगूसराय / वन प्रमंडल पदाधिकारी बेगूसराय / महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र,बेगूसराय / मोटरयान निरीक्षक, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि:– प्रभारी पदाधिकारी, एन0 आई0 सी0,बेगूसराय को जिला के बेबसाईट पर संधारण हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि:– प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार,पटना / आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

26/8/14.

जिला पदाधिकारी,
बेगूसराय।